

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :-

तारीख दायर ११-५-१८

रामफुल पिता प्रभूलाल जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. बालुराम पिता लालु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी पापड़बड़ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. महेन्द्रसिंह पिता विजय सिंह जाति राजपुत उम्र वयस्क निवासी इन्द्रपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. देराम पिता नाराण जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी ईन्द्रपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक

11-6-18

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम लाल धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम पापड़बड़ पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 109 पर अंकित आराजी संख्या 11 रकबा 3-07 बीघा भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत १०११ के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक कास्यां को पत्थरगढी बाबत कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम पापड़बड़ पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या नयी 109 पर अंकित आराजी संख्या 11 रकबा 3-07 बीघा भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ